डिगरी व मुकदमे इब्तदाई
(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)
[Civil Procedure Code Appendix D-I]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 80/2022

1. विमला पत्नी सोहनलाल
2. डालचन्द पुत्र गंगाधर
3. गोविन्द सिंह पुत्र मूलचन्द पुत्र गंगाधर
4. किशोरी
5. किशन
6. परभाती
7. परसादी पिसरान रामसहाय
8. कनीराम पुत्र लटूर
9. शेरसिंह
10. चरनसिंह
11. अमरसिंह
12. सुखवीर पिसरान धनीराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम डाबरा तहसील पहाडी

वादीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

असल प्रतिवादी

2. राकेश
3. राजू पिसरान सोहन लाल
4. मुन्दर पुत्री गंगाधर
5. सुन्दर पुत्री गंगाधर
6. मंता पत्नी मूलचन्द
7. प्रीती पुत्री मूलचन्द
8. कुवंरपाल
9. राजपाल
10. गोपाल पिसरान मूलचन्द पुत्र गंगाधर
11. सन्दीप पुत्र मूलचन्द नाबालिग संरक्षक माता मंता पत्नी मूलचन्द
12. टुल्लो पत्नी कल्लू पुत्र रामसहाय
13. सुनील पुत्र कल्लू पुत्र रामसहाय
14. सुनीता
15. संगीता पुत्रीयान कल्लू पुत्र रामसहाय
16. लीला पत्नी धनीराम
17. फूला
18. सुशीला
19. वीरवती
20. सुमन
21. सीमा पुत्रीयान धनीराम
22. चेतराम
23. गोपी
24. मुरारी पिसरान पूरन
25. जयनारायण
26. मोनू पिसरान गंगादेवी जाति कुम्हार निवासी ग्राम डाबरा तहसील पहाडी (भरतपुर)

तरतीवी प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ संजय गोयल आर0ए0एस0 ....व हाजिरी वकील वादी मिनजानिव वकील प्रतिवादीगण मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को आराजी खसरा नम्बर हाल 288/0.01, 289/0.65, 310/0.32, 311/0.25, 234/0.97, 118/0.28, 181/0.22, 422/0.24, 255/0.33, 40/0.11, 423/0.24, 119/0.13, 180/0.21, 257/0.34, 41/0.19, 115/0.16, 121/0.13, 258/0.32, 445/0.19, 83/0.23, 315/0.52, 463/0.79, 471/0.25, 18/0.45, 20/0.78, 112/0.02, 175/0.18, 324/0.01, 446/0.21, 85/0.82, 394/0.64, 154/0.29, 155/0.01, 194/0.44, 153/0.01, 195/0.04, 145/0.25, 166/0.17, 193/0.53, 45/0.92, 210/0.16, 213/0.21, 228/0.18, 393/0.55, 426/0.15, 428/0.03, 434/0.15, 435/0.08, 438/0.06, 94/1.04, 96/0.13, 348/0.02, 404/0.17, बांके ग्राम डाबरा तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है।

आज ..... X .... मुबलिग .... X ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर .... X .... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी .... X .... तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24/08. सन् 2022 को जारी की गई ।

दस्तखत ....

ओहदा ....

उपखण्ड अधिकारी

पहाड़ी (भरतपुर)

मुहर

मुद्दई		रूपया	पैसा	मुद्दालय		रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	....	2.00		स्टाम्प अरजीदावा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....	1.00		स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....	1.00		स्टाम्प वजह सबूत	....		
महनताना वकील)पर	.....			महनताना वकील)पर	.....		
खर्चा गवाहान	.....			खर्चा गवाहान	.....		
फीस कमिश्नर	......			फीस कमिश्नर	......		
बबत इजराय हुक्मनामा	.....			बबत इजराय हुक्मनामा	.....		
मुतफर्रिक	.....			मुतफर्रिक	...		
मीजान	....	4.00		मीजान	....		

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 80 / 2022

1. विमला पत्नी सोहनलाल
2. डालचन्द पुत्र गंगाधर
3. गोविन्द सिंह पुत्र मूलचन्द पुत्र गंगाधर
4. किशोरी
5. किशन
6. परभाती
7. परसादी पिसरान रामसहाय
8. कनीराम पुत्र लटूर
9. शेरसिंह
10. चरनसिंह
11. अमरसिंह
12. सुखवीर पिसरान धनीराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम डाबरा तहसील पहाडी

वादीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

असल प्रतिवादी

2. राकेश
3. राजू पिसरान सोहन लाल
4. मुन्दर पुत्री गंगाधर
5. सुन्दर पुत्री गंगाधर
6. मंता पत्नी मूलचन्द
7. प्रीती पुत्री मूलचन्द
8. कुवंरपाल
9. राजपाल
10. गोपाल पिसरान मूलचन्द पुत्र गंगाधर
11. सन्दीप पुत्र मूलचन्द नाबालिग संरक्षक माता मंता पत्नी मूलचन्द
12. टुल्लो पत्नी कल्लू पुत्र रामसहाय
13. सुनील पुत्र कल्लू पुत्र रामसहाय
14. सुनीता
15. संगीता पुत्रीयान कल्लू पुत्र रामसहाय
16. लीला पत्नी धनीराम
17. फूला
18. सुशीला
19. वीरवती

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

20. सुमन
21. सीमा पुत्रीयान धनीराम
22. चेतराम
23. गोपी
24. मुरारी पिसरान पूरन
25. जयनारायण
26. मोनू पिसरान गंगादेवी जाति कुम्हार निवासी ग्राम डाबरा तहसील पहाडी (भरतपुर)

तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रहलाद सिंह वकील वादीगण

दिनांक :– 24/08/2022

निर्णय

वादीगण द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 12 नाबालिग है जो अपनी माता मंता पत्नी मूलचन्द के संरक्षण में रहकर परवरिश पा रहा है। इसके अलावा अन्य कोई पक्षकार नाबालिग एवं फातरूल अक्ल नहीं है। आराजी खसरा नम्बर हाल 288/0.01, 289/0.65, 310/0.32, 311/0.25, 234/0.97, 118/0.28, 181/0.22, 422/0.24, 255/0.33, 40/0.11, 423/0.24, 119/0.13, 180/0.21, 257/0.34, 41/0.19, 115/0.16, 121/0.13, 258/0.32, 445/0.19, 83/0.23, 315/0.52, 463/0.79, 471/0.25, 18/0.45, 20/0.78, 112/0.02, 175/0.18, 324/0.01, 446/0.21, 85/0.82, 394/0.64, 154/0.29, 155/0.01, 194/0.44, 153/0.01, 195/0.04, 145/0.25, 166/0.17, 193/0.53, 45/0.92, 210/0.16, 213/0.21, 228/0.18, 393/0.55, 426/0.15, 428/0.03, 434/0.15, 435/0.08, 438/0.06, 94/1.04, 96/0.13, 348/0.02, 404/0.17, बांके ग्राम डाबरा तहसील पहाडी में स्थित है। जमाबन्दी में दर्ज सहकाश्तकार मूलचन्द पुत्र गंगाधर फौत हो गया है मृत्तक मूलचन्द के वारिसान वादी संख्या 3 एवं तरतीवी प्रतिवादीगण 7 लगायत 12 को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। मृत्तक मूलचन्द के वारिसान उसके पुत्र कुंवर पाल , राजपाल, गोपाल व गोविन्द सिंह एवं संदीप और एक पुत्री प्रीति तथा पत्नी मंता है जमाबन्दी में दर्ज सहकाश्तकार रामसहाय पुत्र कीडू फौत हो गया है जिसके वारिसान वादीगण संख्या 4,5,6,7,व प्रतिवादीगण संख्या 13,14,15,16 है। जिन्हे पक्षकार बनाया गया है। जमाबन्दी में दर्ज सहकाश्तकार लटूर पुत्र कीडू फौत हो गया है मृत्तक लटूर के वारिसान में से कनीराम व धनीराम के वारिसान मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड अपने हक तक दावा पेश कर रहे हैं। जमाबन्दी में दर्ज सहकाश्तकार पूरन पुत्र मंगल फौत हो गया है जिनके वारिसान को पक्षकार बनाया गया है। वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के हक व हित समान है। वक्त दावा दायरी के न्यायालय श्रीमान में

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थित नहीं होने के कारण उन्हे तरतीवी प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। उक्त आराजी पुश्तैनी आराजी है। जो वादीगण के बुजुर्गान की गैर मौरोसी का रकबा था। वादीगण के बुजुर्गान ने अपने सम्पूर्ण जीवन काल तक काश्त की अब वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण काबिज काश्त है। मौके पर वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण का मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड काबिज काश्त है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही वादीगण के बुजुर्गान अपने–अपने हिस्से पर गैर मौरोसी के रूप में काबिज काश्त थे जिन्होने अपने जीवन काल तक वाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काश्त की और उनके बाद वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण काबिज काश्त आराजी है । आराजी मुतदाविया पर अब हाल में वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा व काश्त है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज कर देना चाहिये था। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन कराकर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने के अधिकारी है। वादीगण को दावा पेश करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 प्रस्तुत कर सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने की अनुमति ले ली है। वादीगण विवादित आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज होता चला आ रहा है। उसे कलमजन किया जाकर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 01/08/22 को वादीगण के दावा को स्वीकार करते हुये । जबाब पेश किया कि आराजी वादीगण की बुजुर्गान की आराजी है। जिस पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है मौके पर पक्षकारान का मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड कब्जा है। वादीगण को गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना कानून न्यायसंगत है। इस प्रकार आराजी वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है। जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व से ही वादीगण बुजुर्गान गैर मौरोसी के रूप में काबिज काश्त थे अब वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। मुताबिक कानून वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदार के इन्द्राज को कलमजन कर खातेदार दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा। उक्त आराजी धारा 16 के तहत नहीं आती है। जिस पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड किया जाना न्यायहित में है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

<u>तनकी संख्या 1 :–</u> आया आराजी वादीगण की बुजुर्गान की आराजी है।

.....वादीगण

<u>तनकी संख्या 2 :–</u> आया आराजी को वादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

.....वादीगण

3 :– दादरसी ।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 ओमी , पी0डब्लू0 2 परभाती, पी0डब्लू0 3 शेरसिंह, पी0डब्लू0 4 डालचन्द, पी0डब्लू0 5 विमला के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2017–20, 2021–24, 2025–28, 2026–29, 2033–36, 2037–40, 2042–45, 2046–49, 2050–53, 2054–57, व हाल जमाबन्दी सम्वत 2075–78 व नकल मिलान क्षेत्रफल पेश किये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

तनकी संख्या :– 1 आया आराजी वादीगण की बुजुर्गान की आराजी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक आराजी वादीगण की बुजुर्गान की आराजी है। मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2017–20 आराजी लटूर,चन्दू,चुन्ना,रामसहाय पिसरान कीडू, के नाम मौरूसी दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी पूर्व में लटूर,चन्दू,चुन्ना,रामसहाय पिसरान कीडू की गैरमौरूसी को रकबा था जिस पर सम्पूर्ण जीवन काल तक लटूर,चन्दू,चुन्ना,रामसहाय पिसरान कीडू ने काश्त की बाद में आराजी विरासतन वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के हिस्से में आई। वर्तमान में वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण का मुताबिक हिस्सा कब्जा काश्त है। आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। तहसीलदार पहाडी ने भी अपने जबाब में स्वीकार किया है कि आराजी वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या :– 2 आया आराजी को वादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार पहाडी के मुताबिक वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से पूर्व ही आराजी पर काबिज काश्त है। आराजी वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है। वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा व काश्त है एवं आराजी धारा 16 के अधीन नहीं आती है। ऐसी स्थिति में आराजी को वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है। उक्त तनकी वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

दादरसी :– तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को आराजी खसरा नम्बर हाल 288/0.01, 289/0.65, 310/0.32, 311/0.25, 234/0.97, 118/0.28, 181/0.22, 422/0.24, 255/0.33, 40/0.11, 423/0.24, 119/0.13, 180/0.21, 257/0.34, 41/0.19, 115/0.16, 121/0.13, 258/0.32, 445/0.19, 83/0.23, 315/0.52, 463/0.79, 471/0.25, 18/0.45, 20/0.78, 112/0.02, 175/0.18, 324/0.01, 446/0.21, 85/0.82, 394/0.64, 154/0.29, 155/0.01, 194/0.44, 153/0.01, 195/0.04, 145/0.25, 166/0.17, 193/0.53, 45/0.92, 210/0.16, 213/0.21, 228/0.18, 393/0.55, 426/0.15, 428/0.03, 434/0.15, 435/0.08, 438/0.06, 94/1.04, 96/0.13, 348/0.02, 404/0.17, बांके ग्राम डाबरा तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24/08/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)
पहाडी (भरतपुर).

Scanned with OKEN Scanner